रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 323] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 1972/आषाढ़ 14, 1894

No. 323] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 1972/ASADHA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[Border Security (II) Section (G and Q)]

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 5th July 1972

S.O. 467(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Rajasthan for a period of six months with effect from 7th July, 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q).]

गृह मंत्रालय

[सीमा सुरक्षा (II) विभाग (जी एंड क्यू)]

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1972

एस० ओ० 467(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्ध के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है

कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 7 जुलाई 1972 से 6 जनवरी, 1973 तक छह मास के लिए राजस्थान से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69—बी० एस०—II (जी० एन्ड क्यू०)]

S.O. 468(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border, Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in West Bengal for a period of six months with effect from 8th July, 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q).]

एस० ओ० 468(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्ध के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8 जुलाई, 1972 से 7 जनवरी, 1973 तक छह मास के लिए पश्चिम बंगाल से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी हो गी ।

[सं० एफ० 9/28/69–बी० एस०–II (जी० एन्ड क्यू०)]

S.O. 469(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border. Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Haryana for a period of six months with effect from 8th July, 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q).]

एस० ओ० 469(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्ध के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8 जुलाई, 1972 से 7 जनवरी, 1973 तक छह मास के लिए हरियाणा से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69–बी० एस०–II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 470(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Bihar for a period of six months with effect from 17th July, 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q).]

एस० ओ० 470 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्ध के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 17 जुलाई, 1972 से 16 जनवरी, 1973 तक छह मास के लिए बिहार से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69–बी० एस०–II (जी० एंड क्यू०)]

S.O. 471(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Kerala for a period of six months with effect from 25th July, 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q).]

एस० ओ० 471 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्ध के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 25 जुलाई, 1972 से 24 जनवरी, 1973 तक छह मास के लिए केरल से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69–बी० एस०–II (जी०एन्ड क्यू०)]

S.O. 472(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Meghalaya for a period of six months with effect from 31st July, 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q).]

एस० ओ० 472 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्ध के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 31 जुलाई, 1972 से 30 जनवरी, 1973 तक छह मास के लिए मेघालय से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69–बी० एस०–II (जी० एन्ड क्यू०)]

S.O. 473(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Delhi for a period of six months with effect from 23rd July, 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q).]

G. PARKASH, Jt. Secy.

एस० ओ० 473 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्ध के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 23 जुलाई, 1972 से 22 जनवरी, 1973 तक छह मास के लिए दिल्ली से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69–बी० एस०–II (जी० एन्ड क्यू०)]

ज्ञान प्रकाश, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972